# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
## पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –175/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00324

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

*बनाम*

घांसी आत्मज धूलसिंह जाति राजपूत निवासी जालिमपुरा मृतक जर्ये कायम मुकामान

1. दुर्गासिंह आत्मज स्व0 घोंसी सिंह
2. मानसिंह आत्मज स्व0 घोंसीसिंह
3. श्याम सिंह आत्मज घांसी सिंह जाति राजपूत निवासीगण जालिमपुरा (सहरावदा) तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

. ––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

## *निर्णय*

दिनांकः– 15/10/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम अमझार तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.89 हे0, भूमि दिनांक 20.11.1979 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी के फोत होने पर वारिस कायम मुकामान उपस्थित कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.8.2017 को प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जा चुका है किन्तु उसके बाद कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण को ग्राम अमझार तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.89 हे0, भूमि दिनांक 20.11.79 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण को ग्राम अमझार तंहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 89 रकबा 0. 89 हे0, भूमि दिनांक 20.11.79 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम अमझार तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.89 हे0, भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं पाया जाने से अप्रार्थी के हक में दिनांक 20.11.1979 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा